

Digital Landuse Map of Proposed Road Bah to Gungrown KM 0/0 to 1/450



- Legend**
- River / Nallah
 - Shrubs
 - Grass Land
 - Open Land
 - Proposed Road
 - Forest
 - Agriculture
 - Road
 - Builtup

© Copyrighted to AGISAC, under the aegis of State Council for Science, Technology & Environment, H.P.
 This map has been prepared from the references (Latitude, Longitude, Altitude) and base map provided by the user and the AGISAC agency and accuracy of the same, correctness and connectivity of the same, is the responsibility of the user.

गुप्त वन क्षेत्रों और अन्य परम्परागत वन निवासियों (वन अधिकारों की रक्षा) अधिनियम, 2006

कम : 012 सीसी

ग्राम :

पति :

सहायक वड

परमाणु

दिनांक 16/6/14

निवेदन संख्या

वन अधिकार समिति ग्राम सभा

वड

वड

मे श्री श्रीमती

उत्तर सिंह

पंजाब

अन्तर्गत U.P.F. - जलोटा

जंगल/वन क्षेत्र (जिला

0.32

हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।

वड वैन गन्नाओं क्षेत्र रोड के निर्माण के लिए

के आवेदनों पर चर्चा की गई।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ

वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों

के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ

प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त

वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा

नियमानुसार सही पाया गया -

क0स0

* पात्र गांव वासी का नाम

जंगल का नाम

DPF - जलोटा

वन अधिकार का बरौसा

1

2

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त से हे निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क0स0

* पात्र गांव वासी का नाम

1

2

DPF - जलोटा

जंगल/वन क्षेत्र से कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान - वन अधिकार

दिनांक 16/6/14

ग्राम सभा
वन अधिकार समिति
मुख्य वड हा0 परमाणु

नियमानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

Do Search

For filling in the
check list form & returning
immediately.

Signature (Date)
16/6/14

अनुरोधित जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की स्वतंत्रता अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

गुहाल का नाम-	व.ह.
ग्राम पंचायत का नाम-	व.ह.
गुहाल समिति सदस्य संख्या-	145
समिति में उपस्थित सदस्य संख्या-	88

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 17

दिनांक 31-8-14

गुहाल समिति व.ह. को 11.30 AM बजे स्थान व.ह. में श्री/श्रीमति श्रीमती देवी की अध्यक्षता में की गई जिसमें गुहाल के अनुरोधित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की स्वतंत्रता अधिनियम 2006 अन्तर्गत इस गुहाल समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार की कार्यवाही की गई।

कुल प्राप्त आवेदन-

सही दावों का ब्यौता-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का शीर्षक
—	—	च.ल.ह. D.P.F.	—

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम
—	—


तदनुसार गुहाल समिति इस दावों/इन दावों को निरस्त करती है।

इस गुहाल समिति की कार्यवाही समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार गुहाल

व.ह.

की अध्यक्षता में की गई जिसमें

दिनांक 31-8-2015



(मुख्य अधिकारी एवं सहायक अधिकारी)
गुहाल समिति
ग्राम पंचायत

5100 5100
5100 5100

10/10/10

1544

15.07.18

(12040)

911 10 25 10

12-414 1-E 14

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

88 / 145

पृष्ठ सं० १७

विषय निर्माण हैक्टर रोड पर है गन्धर्व विभाग, स्वयं का पं. गोपिका राज
को निर्माण हेतु मूलात्त वह

जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित * C-32

उपयोग की मजदूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु * 1118/233/1, 1117/233/1, 1117/233/1,
761/716/1

610 4041

31-08-2014 11: AM

10. 11. 2019

2. $\frac{1}{2} \pi$ (2.5)

D. P. F.

ਅੰਗੀ ਦ

11-10-1961

C. 32

उत्तराखण्ड के विकास के लिए सड़क बनाने का प्रयास है।

कर्मचारी संघों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण निम्न है।

गाम रासग की इस बैठक में अनुसूचित जाति प्रति आर-आय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार) के सम्बन्ध में 2000 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दायरे के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा वन अधिकारों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया तथा वन अधिकारों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया।

श्री १०८ श्री गणेशाय नमः
 श्री १०८ श्री गणेशाय नमः
 श्री १०८ श्री गणेशाय नमः


संज्ञा

दिनांक 31/08/2014

सिद्धिदायक उपायसंग्रह

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

Abstract



Dr. Gerd
18/08/2019

Annexure III

OFFICE OF SDO (CIVIL), Padhar

DISTRICT Mandi (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Padhar, Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr./Ms. Vinay Modi, SDO(Civil) Padhar on 11th June at 12:30 PM at Office of S.D.O.(C) Padhar (Place) in which the application(S) of the applicants of Bah Muhal Sabha, claiming rights in forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by then Bah Muhal Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District level Committee.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.		DPF Chalota	DPF Chalota

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected.

Sr.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.			
2.			
or			

✓ As informed by Alang Muhal Sabha, no application was received claiming rights in _____ forest area.

Place

Date

(SDO(Civil)- chairman/chairperson)

(Officer, Distt. Mandi (H.P.))

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

FORM-I
(for linear projects)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

No. MND/SR/LRC/2015-

Dated Mandi, the 18 September, 2015

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN


In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.32 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Panchvati Raj Department for the construction of Bah to Gangram tractor road falls within the jurisdiction of Bah village in Padhar Tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.32 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

This certificate is being issued in the light of guidelines given in letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 05-02-2013.

Encl.: As above.


(Sandeep Kadam, IAS)
District Collector,
Mandi District Mandi H.P.